

रेरा के विशेष अभियान से वादों के निष्पादन में तेजी

पटना | रेरा, बिहार ने आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रमोटरों से बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान के तहत सर्टिफिकेट (नीलाम-पत्र)वादों के निष्पादन में तेजी लाई है। इसी क्रम में सर्टिफिकेट वाद संख्या 5684/2024-25 में चूककर्ता प्रमोटर ने शिकायतकर्ता विश्वजीत को 42 लाख रुपए का भुगतान किया। यह राशि मां नारायणी भगवत डेवलपर के विरुद्ध दर्ज शिकायत पर पारित आदेश के अनुपालन में दी गई। मामले में मूलधन 42 लाख और सूद 52.47 लाख रुपए का उल्लेख है। लगातार अनुपस्थिति पर वारंट जारी हुआ था। सर्टिफिकेट पदाधिकारी अनिमेष पांडेय की अदालत ने निर्देश दिया कि शेष देय का बड़ा हिस्सा बाकी होने से वारंट अभी वापस नहीं होगा। दोनों पक्ष सहमति से भुगतान समझौता जमा कर सकते हैं। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।